

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति विभाग:-

लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति-हमारी पहचान के अंतर्गत 'संस्कृति उत्सव-2023' मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन, कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व में अग्रणी रही है। यहां की सांस्कृतिक विरासत में कला एवं संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन, नृत्य एवं लोकनाट्य की विभिन्न शैलियों के प्रमुख गुरुओं, आचार्यों एवं कलाविदों की महती भूमिका रही है, जिन्होंने अपनी साधना से अनेक कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कलागुरुओं एवं साधकों की अपनी अलग पहचान है।

2. उत्तर प्रदेश शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत तथा लोक नाट्य की विभिन्न विधाओं से अत्यन्त समृद्ध है जो समय-समय पर राजकीय प्रश्रय प्राप्त कर सफलता के शीर्ष पर स्थापित हुयी। इन परम्पराओं से जुड़े हुये कलाकार अधिकांशतया परम्परागत संगीत घरानों से शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन इसी के साथ ग्रामीण अंचलों में प्रचलित लोक संगीत की परम्परा भी अत्यन्त समृद्ध है जिसके संरक्षण, संवर्धन एवं इन विधाओं से जुड़े हुये कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे कला साधकों की बहुतायत है लेकिन पहचान के अभाव में वह अधिकांशतया नेपथ्य में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उनकी कला प्रतिभा को सामने लाया जाये और उनकी कला सामर्थ्य में विकास के उपक्रम जुटाये जाये, जिससे कि वह कला एवं संगीत की मुख्य धारा से जुड़कर प्रदेश एवं देश का मान बढ़ा सकें।

3. शास्त्रीय एवं लोक संगीत की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के सभी अंचलों में ऐसे कलाकारों की पहचान कर उन्हें उनकी योग्यतानुसार मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित एवं समृद्ध करने के उद्देश्य से ही संस्कृति विभाग, उ० प्र० द्वारा "उत्तर प्रदेश पर्व- हमारी संस्कृति: हमारी पहचान" के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव-2023' की शुरुआत की जा रही है, जिसकी समय-सारणी निम्नवत् है:-

क्र०	तिथि	प्रतियोगिता हेतु प्रतिभागियों का स्तर	प्रतियोगिता स्थल
1	25-30 दिसम्बर, 2023	गांव, पंचायत, ब्लाक एवं तहसील स्तर के कलाकारों की प्रतियोगिता	तहसील मुख्यालय
2	01-05 जनवरी, 2024	तहसील स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	जनपद मुख्यालय
3	10-15 जनवरी, 2024	जनपद स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	मण्डलीय मुख्यालय
4	20-21 जनवरी, 2024	मण्डल स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	प्रदेश की राजधानी मुख्यालय - लखनऊ
5	23 जनवरी, 2024	लखनऊ में सम्पन्न प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का 'उत्तर प्रदेश पर्व' में प्रतिभाग हेतु पूर्वाभ्यास	लखनऊ
6	24-26 जनवरी, 2024	'उत्तर प्रदेश पर्व' के अवसर पर अंतिम रूप से चयनित सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां, सम्मान एवं पुरस्कार	लखनऊ

4. उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति-हमारी पहचान के अंतर्गत 'संस्कृति उत्सव-2023' मनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. सार्वभौमिक सहभागिता-

1. प्रतियोगिता में अधिकतम सहभागिता हेतु विभिन्न स्तरों पर शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों स्वशासी निकायों स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र, नेशनल कैडेट कोर, सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
2. 'संस्कृति उत्सव-2023' का व्यापक प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, संस्कृति विभाग की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यमों से किया जाएगा। इस हेतु एक आकर्षक लोगो तैयार कर प्रचार-प्रसार में उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे उसकी विशिष्ट पहचान बन सके।
3. कार्यक्रमों की विस्तृत तैयारी, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निर्वाह संचालन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों के नेतृत्व में प्लानिंग, समन्वय, आयोजन, वित्त, विनियम, पंजीकरण एवं मीडिया, कार्यक्रम स्थल निर्धारण, कार्यक्रम स्थल व्यवस्था, अवार्ड व सर्टिफिकेट, जनसहभागिता आदि विभिन्न समितियों का गठन कर उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा। इन समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार उपसमितियां गठित कर समय-समय पर बैठके आयोजित कर, स्थलीय निरीक्षण कर अपने-अपने कार्य सुनियोजित रूप से संपन्न किये जायेंगे।
4. आयोजन की तैयारी, महोत्सव के शुभारम्भ हेतु अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण उत्सव की समय-सारिणी के दृष्टिगत शीघ्रतिशीघ्र कर दिया जाए। जनपद के प्रतिष्ठित कलाकारों, व्यापार मंडल, औद्योगिक क्षेत्र के संगठनों, बैंकर्स, विभिन्न क्षेत्रीय नागरिकों तथा उ०प्र० में निवास कर रहे विविध सामाजिक संगठनों प्रदेश में निवास कर रहे विभिन्न प्रदेशों के समाजों के साथ-साथ किन्नर समाज, दिव्यांग जनों की भी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
5. सुगम रजिस्ट्रेशन हेतु एक विशेष पोर्टल तैयार किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान ही सभी डाटा फीड करा लिए जाए ताकि सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुति के पश्चात् प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना बेहद आसान हो जाए। पोर्टल तक पहुँच न रखने वाले अथवा विलम्ब से आने वाले इच्छुक व्यक्तियों हेतु ऑफलाइन-ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी रखा जाए।

2. कंट्रोल रूम की स्थापना एवं दायित्व

महोत्सव की भव्यता को बनाए रखने एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु विशेष रूप से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की समस्याओं का त्वरित व प्रभावी निवारण करना, कंट्रोल रूम में नियुक्त कार्मिकों द्वारा दूरभाष के माध्यम से कॉल व मैसेज करके प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल, दिनांक, समय आदि की ससमय सूचना प्रदान करना तथा उनकी अन्य प्रेक्षाओं का भी समुचित समाधान करना होगा।

कार्मिकों द्वारा महोत्सव के प्रतिभागियों को समिति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों से अवगत कराते हुए ब्लाक, जनपद स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। कंट्रोल रूम से प्रतिदिन सभी आयोजन स्थलों के डेटा एकत्र कर उसकी डेली बुलेटिन भी मीडिया, सोशल मीडिया व प्रशासनिक समूहों में भी प्रसारित की जाएगी। डेली बुलेटिन में क्षेत्रवार, श्रेणीवार प्रतियोगियों, प्रतियोगिता व आयोजनों में सम्मिलित होने वाले गणमान्य व्यक्तियों की जानकारी प्रदान की जायेगी।

3. कार्यक्रम स्थलों का चयन एवं तैयारी

1. प्रतियोगी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्थल निर्धारण व स्थल व्यवस्था समितियों से जुड़े सदस्यों द्वारा व्यापक स्थल निरीक्षण कर ऐसे कार्यक्रम स्थलों का चयन किया जाए जहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तथा जहाँ से आवागमन सुगम हो।
2. प्रतिभागियों के लिए उनके विधा के अनुरूप बाद्ययंत्र, संगतकार, माइक, साउंड, लाइटिंग एवं साज सज्जा के लिए स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनके लिए खान-पान की व्यवस्था समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- कार्यक्रम स्थल पर अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था, उनके वाहन पार्क करने की समुचित व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 'संस्कृति उत्सव 2023' का आयोजन का किया जाएगा।
- प्रत्येक योजन स्थल पर उत्सवपूर्ण वातावरण तैयार किया जाए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों को एक महोत्सव को रूप देने के लिए फूल रंगोली, गुब्बारों, साज-सज्जा, लाइटिंग इत्यादि माध्यमों से आकर्षक सजावट की जायेगी।
- कार्यक्रम स्थल पर ही एक कैम्प कार्यालय की व्यवस्था की जाए जिसमें कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि सामान्य मूलभूत व्यवस्थाएं हो तथा प्रतिभागियों की सहायतार्थ स्थलों पर हेल्प डेस्क व्यवस्था, ध्वनि एवं संगीतकारों की व्यवस्था, अभिलेखीकरण, प्रमाण-पत्र प्रिंट कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाए जिससे प्रतिभागियों को आनलाइन सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।
- उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में प्रचलित निम्नलिखित सांस्कृतिक विधाओं में दक्ष कलाकारों को खोजकर प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा:-

प्रतियोगिता की विधाएं

गायन	वादन	नृत्य
शास्त्रीय गायन, ख्याल, ध्रुपद	स्वर वाद्य सुषिर वाद्य बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम तन्तु वाद्य सितार, वायलिन, गिटार सारंगी,	कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम तथा अन्य शास्त्रीय नृत्य।
उपशास्त्रीय गायन ठुमरी, दादरा, चैती, चैता, झूला, होरी, टप्पा	वीणा वादन आदि ताल वाद्य तबला, पखावज, दक्षिणी भारतीय मृदंगम, घटम आदि	
लोक गायन	जनजाति वाद्य यंत्र/ लोक वाद्य	लोक नृत्य
कजरी, चैती, झूला, बिरहा, आल्हा, निर्गुण, लोकगीत, कव्वाली आदि	डफला, नगाड़ा, दुक्कड़, मादल, शहनाई, ढोल- ताशा, ढोलक, नाल, चिमटा, हुड़का, सिंघा आदि	धोबिया, अहिरवा, करमा, शैला, डोमकच, आखेट नृत्य तथा अन्य जातीय नृत्य आदि
सुगम संगीत		लोक नाट्य
गीत गजल भजन, देशभक्ति गीत एवं अन्य		नौटंकी, रामलीला, रासलीला, स्वांग, भगत, बहुरूपिया, नुक्कड़ नाटक आदि

4. प्रभारी अधिकारियों का नामांकन-

'संस्कृति उत्सव-2023' की प्रतियोगिता एवं प्रस्तुति हेतु चिह्नित विधाओं में प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार व्यापक स्तर पर तैयारी की जाये, जिससे कि इस प्रतियोगिता की जानकारी ग्रामीण स्तर के न्यूनतम स्तर तक सभी कलाकारों तक पहुंच सके। इस हेतु अलग-अलग प्रभारी नामित करते हुये प्रतियोगिता को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किया जाए। ग्रामीण स्तर से लेकर जिला/राज्य स्तर तक प्रभारी/समन्वयक निम्न प्रकार से नामित किये जाने की कार्यवाही की जाए-

क्र०	स्तर	प्रभारी	सहयोगी
1	गांव, पंचायत, ब्लाक एवं तहसील स्तर	तहसीलदार	ग्राम प्रधान, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी
2	तहसील स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	उप जिलाधिकारी	नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी
3	जनपद स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	मुख्य विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, जिला सूचना अधिकारी, संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	मण्डल स्तर के चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता	अपर आयुक्त, प्रशासन	जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, जिला सूचना अधिकारी, संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी
5	लखनऊ में सम्पन्न प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का 'उत्तर प्रदेश पर्व' में प्रतिभाग हेतु पूर्वाभ्यास	कार्यक्रम अधिशासी, संस्कृति विभाग, निदेशालय, उ०प्र०	संस्कृति विभाग के अधीन समस्त संस्थाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों में से भिन्न कर्मी
6	'उत्तर प्रदेश पर्व' के अवसर पर अंतिम रूप से चयनित सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां, सम्मान एवं पुरस्कार	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०	प्रभारी अधिकारी कार्यक्रम

5. उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति-हमारी पहचान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले 'संस्कृति उत्सव-2023' के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु निम्नानुसार समितियां गठित की जानी हैं:-

(क) **आयोजन समिति-**

1. प्रतियोगिता को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिये राज्य स्तरीय समिति-

क्र०	पदनाम	प्रस्थिति
1	प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ० प्र०	संरक्षक
2	मण्डलायुक्त, लखनऊ	अध्यक्ष
3	जिलाधिकारी, लखनऊ	उपाध्यक्ष
4	निदेशक-सूचना द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	निदेशक, पर्यटन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	संस्कृति विभाग की सभी स्वायत्तशापी संस्थाओं के निदेशक	सदस्य
7	प्रभारी-कार्यक्रम, संस्कृति निदेशालय, उ० प्र०	सदस्य-सचिव

7. **मण्डल स्तरीय समिति:-**

क्र०	पदनाम	प्रस्थिति
1	मण्डलायुक्त द्वारा नामित अपर आयुक्त	अध्यक्ष
2	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य
3	उप निदेशक सूचना	सदस्य
4	जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद	सदस्य-सचिव

7. **जनपद स्तरीय समिति:-**

क्र०	पदनाम	प्रस्थिति
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
4	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
5	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
6	सचिव, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद	सदस्य-सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समितियां अपनी सहायतार्थ उप समितियां भी गठित कर सकती है।

7. **निर्णायक मण्डल समिति -**

राज्य स्तर पर,	मण्डल स्तर पर	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर
निदेशक संस्कृति निदेशालय द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ	मण्डलायुक्त द्वारा नामित विधा विशेषज्ञ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	जिलाधिकारी द्वारा नामित विधा विशेषज्ञ पर्यटन अधिकारी	उपजिलाधिकारी द्वारा नामित विधा विशेषज्ञ

निर्णायक मण्डल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु समय-सीमा:-

क्र.सं	विधा	कलाकारों की संख्या	समयावधि	अन्य विवरण
1	एकल गायन	01+03 संगतकार	05+1 मिनट	
2	समूह गायन	01+03 संगतकार सहित	05-08 मिनट	
3	एकल नृत्य	01+06 संगतकार	05+1 मिनट	रिकार्डेड संगीत मान्य होगा
4	समूह नृत्य	01+11 संगतकार सहित	05-08 मिनट	रिकार्डेड संगीत मान्य होगा
5	एकल वादन	01+03 संगतकार	05+1 मिनट	
6	समूह वादन	01+05 संगतकार सहित	06-10 मिनट	

7. उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति- हमारी पहचान के योजना के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव-2023' के अन्तर्गत आयोजित कराने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजक संस्कृति विभाग, उ० प्र० तथा सहयोगी स्थानीय जिला प्रशासन होगा। 'संस्कृति उत्सव-2023' की प्रतियोगिताओं की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:

7. नियम एवं शर्तें

'संस्कृति उत्सव-2023' के अन्तर्गत आयोजित कराने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजक संस्कृति विभाग, उ० प्र० तथा सहयोगी स्थानीय जिला प्रशासन होगा। 'संस्कृति उत्सव-2023' की प्रतियोगिताओं की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:-

1. सभी प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए जिसके लिये प्रतिभागी का आधार कार्ड मानक होगा।
2. प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु सम्बन्धित जनपद का निवासी अपने ही जनपद के क्षेत्रान्तर्गत प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभाग कर सकता है।
3. प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।
4. ऑनलाइन पंजीकरण संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर किया जायेगा।
5. एक प्रतिभागी केवल एक ही विधा में प्रतिभाग कर सकता है।
6. प्रतिभागी कलाकार दलनायक के रूप में अपने सभी सहयोगी कलाकारों का सम्पूर्ण विवरण यथा- नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाईल नं०, पासपोर्ट साइज की दो फोटो अलग से प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई कलाकार अन्य किसी दल के साथ सहभागिता करेगा तो उस कलाकार को दूसरे दल नायक के रूप में शामिल नहीं किया जायेगा।
7. सभी कलाकारों को संगत कलाकार व वाद्य यंत्रों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8. देशभक्ति गीत, लोकगीत, लोकनृत्य, जनजातीय नृत्य एवं लोकवाद्य में केवल समूह प्रस्तुतियां होंगी, अन्य सभी विधाओं में सिर्फ एकल प्रस्तुतियां होंगी।
9. सभी प्रतिभागी कलाकार एकल प्रस्तुति के अतिरिक्त सिर्फ एक समूह प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं।
10. प्रतिभागी कलाकारों के साथ संगत कर रहे संगतकार एक से अधिक दल के साथ संगत कर सकते हैं, लेकिन एक ही दल के साथ संगत करने वाले दलनायक को अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।
11. प्रस्तावित विधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य प्रस्तुति मान्य नहीं होगी।
12. देशभक्ति समूह गीत प्रस्तुति के दौरान प्रतिभागी अपने नियत स्थान पर ही बने रहेंगे और जब निर्णायक मंडल उन्हें निर्देशित करेगा तो वह अपनी पूर्व स्थिति में जा सकेंगे।
13. शास्त्रीय नृत्य एवं लोकनृत्य में उस विधा से सम्बंधित मान्य वेश-भूषा अनिवार्य है। समूह प्रस्तुतियों हेतु भी गणवेश अनिवार्य है। वेश-भूषा का निर्धारण पृथक से सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14. सभी प्रस्तुतियां पारंपरिक और मर्यादित होनी चाहिए अन्यथा निर्णायक मण्डल द्वारा प्रस्तुति निरस्त की जा सकती है।
15. प्रतिभागी/प्रतिभागी दल को अपनी प्रस्तुति से पूर्व प्रस्तुति का संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. किसी राजनीतिक दल, धर्म, संप्रदाय, जाति या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने वाली प्रस्तुतियां पूर्णतया प्रतिबंधित होंगी।
17. एकल या समूह नृत्य में अग्निवर्धक व दुर्घटनाकारी सामग्रियों का प्रयोग प्रतिबंधित है।
18. प्रतियोगिता स्थल पर केवल ध्वनि उपकरण ही आयोजक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
19. एकल गायन व नृत्य की प्रस्तुति में अधिकतम 03 संगतकार मान्य होंगे।
20. समूह गायन में संगतकार सहित न्यूनतम 06 और अधिकतम 08 होनी चाहिए।
21. समूह नृत्य में संगतकार सहित कलाकारों की संख्या न्यूनतम 12 अधिकतम 15 होनी चाहिए।
22. समूह वाद्य प्रस्तुति में कलाकारों की संख्या न्यूनतम 05 और अधिकतम 10 होनी चाहिए।
23. प्रस्तुतियों के निर्णय हेतु निर्धारित मानक अंक

विधा	स्वर	लय/ताल	उच्चारण	वेश-भूषा	समग्र आंकलन			कुल योग
गायन	15	15	10	05	05			50
वादन	15	15	10	05	05			50
एकल नृत्य	रिकार्डेड संगीत	लय/ताल	भाव-भंगिमा	वेश-भूषा	सहायक सामग्री	कोरियोग्राफी	समग्र आंकलन	
	05	10	10	10	05	10	10	60
समूह नृत्य	रिकार्डेड संगीत	लय/ताल	भाव-भंगिमा	वेश-भूषा	सहायक सामग्री	कोरियोग्राफी	समग्र आंकलन	
	05	10	10	10	05	10	10	60

24. गायन के दल में न्यूनतम 06 तथा अधिकतम 08 सदस्य होंगे, लोकनृत्य के दल में न्यूनतम 13 तथा अधिकतम 16 सदस्य होंगे, लोक नाट्य में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 25 सदस्य होंगे।
25. प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी कलाकार दल के सदस्य दलनायक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर आनलाइन तथा आफलाइन आवेदन दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 तक मेल आईडी0 upcultureutsav@gmail.com पर अवश्य प्रेषित कर दें। आवेदन का प्रारूप संस्कृति विभाग के पोर्टल <https://upculture.up.nic.in/hi/sanskriti-utsav-2023> पर उपलब्ध होगा।
26. संस्कृति विभाग द्वारा प्रतियोगिता की तिथियां एवं अन्य शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेंगी हैं।
27. प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क देय नहीं हैं।
28. प्रतियोगियों को प्रतियोगिता स्थल तक स्वयं अपने साधन से आना-जाना होगा।
29. प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिये जायेंगे। सभी विजयी प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र भी दिये जायेंगे।
30. विभिन्न मण्डलीय प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को लखनऊ में सम्पन्न होने वाली अंतिम प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु द्वितीय श्रेणी का रेल किराया आरक्षण शुल्क सहित अथवा वास्तविक बस किराया देय होगा।
31. लखनऊ में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ 'उत्तर प्रदेश दिवस' (दिनांक 24-26 जनवरी, 2024) के अवसर पर प्रस्तुति का अवसर भी दिया जायेगा तथा लखनऊ में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रम में विजयी कलाकार दल के सम्मिलित किये जाने पर आने-जाने का किराया, रहने, भोजन की व्यवस्था तथा उचित मानदेय भी यथा निर्धारित दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

32. आवेदक दल को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन अथवा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में कम से कम तीन आयोजनों में सम्मिलित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
33. समिति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डलायुक्त का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
34. अश्लील नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता को अयोग्य माना जायेगा तथा प्रस्तुति तुरन्त रोक दी जायेगी।
35. जिस प्रतियोगिता में 5 से कम दलों के आवेदन प्राप्त हो उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा परन्तु जनजातीय दलों में तीन दलों की प्रविष्टि के बाद भी प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
36. सदस्य-सचिव प्रतियोगिता के फोटो और वीडियो प्रचार-प्रसार के लिए बनायेंगे उसकी एक कॉपी संस्कृति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
37. सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाणपत्र, विजेताओं को प्रमाणपत्र, मेडल, स्मृति चिह्न, निर्धारित पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
38. निर्णायक मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
39. आयोजन समिति आवश्यकतानुसार कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जो सर्वमान्य होगा।

8. महोत्सव का समापन समारोह

उत्तर प्रदेश में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। गायन, वादन, नृत्य और नाट्य की समस्त विधाओं में उ०प्र० के पारंगत कलाकारों ने देश और दुनिया में भारतीय संगीत को उच्च स्थान दिलाया है। उ०प्र० के नवागत कलाकारों और समस्त विधाओं के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु भारत पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 25 दिसम्बर से 15 जनवरी, 2024 तक होगा। हमारी संस्कृति हमारी पहचान सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का समापन समारोह उ०प्र० दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2024 को लखनऊ में किया जायेगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने एवं भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने हेतु ऐसे आयोजनों को किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

भवदीय
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त सम्बन्धित विभाग।
6. निदेशक, संस्कृति निदेशालय को इस आशय से प्रेषित की सभी जनपदों में प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।